21

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 2211–एक/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 13.03.2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 343/अपील/2012–13

पप्पू उर्फ दलीप पुत्र श्री तिजुआ, जाति हरिजन,
निवासी– ग्राम–बड़ा स्यावदा, तह–गंजबासौदा
जि0 विदिशा (म.प्र)

.....**आवेदकगण**

विरुद्ध

1. भगवती बाई पत्नि मुन्नालाल, जाति–
   हरिजन, निवासी– ग्राम–उमरिया, तह0 व जि0
   रायसेन (म.प्र)
2. नरायण सिंह पुत्र लम्पुआ जाति–
   हरिजन, निवासी– ग्राम–बड़ा स्यावदा, तह–गंजबासौदा
   जि0 विदिशा (म.प्र)
3. नब्बाबाई पत्नि श्री राम, जाति– हरिजन,
   निवासी– ग्राम–बड़ा स्यावदा, तह–गंजबासौदा
   जि0 विदिशा (म.प्र)

.....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश तिवारी

अनावेदक क. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र मिश्रा एवं अनावेदक क. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम सिंह ठाकुर।

आदेश

(आज दिनांक 06/12/2017 को पारित)

3

यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 343/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 13.03.2015 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व

संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रश्नाधीन भूमि के भू–स्वामी मृतक लम्पुआ थे। उनकी मृत्यु के उपरांत नामांतरण पंजी क. 03 दिनांक 30.12.2002 पर तहसीलदार द्वारा आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 2 का नामांतरण दर्ज किया गया। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक क. 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील पेश की गई, जो उन्होंने आदेश दिनांक 22.01.2013 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर आवेदकगण के साथ मृतक तिजुआ की पुत्रियां भगवती बाई अनावेदक क. 1 तथा नब्बा बाई का नामांतरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है। अपर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक तर्कों के साथ–साथ लिखित बहस भी पेश की गई है जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनावेदक क. 1 भगवती बाई हितबद्ध पक्षकार नहीं थी। उसके द्वारा 9 वर्ष उपरांत अपील की गई। आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तिजुआ के वारिसान के विषय में साक्ष्य लिए जाने एवं जांच की प्रार्थना की, जिस पर कोई आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी का आदेश न्यायिक नहीं है। यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त ने संक्षिप्त आदेश पारित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है, जो त्रुटिपूर्ण है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सभी पक्षकारों को पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिए जाने के पूर्व आदेश पारित किया गया है। अपर आयुक्त ने उनके आदेश को स्थिर रखकर त्रुटि की है। अपर आयुक्त ने उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है। उक्त आधार पर अपीलीय न्यायालय के आदेशों को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. अनावेदक क. 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि भगवती बाई मृतक तिजुआ की पुत्री है। आवेदक पप्पू द्वारा तहसील न्यायालय में प्रस्तुत बंटवारा प्रकरण क. 12 / अ–27 / 2012–13 जिसमें अनावेदिका को भी पक्षकार

बनाते हुए बंटवारा कराया गया है, इससे स्पष्ट है कि भगवती बाई मृतक तिजुआ की पुत्री है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उसे मृतक तिजुआ की पुत्री मानते हुए आवेदक के साथ उसे भी तिजुआ की पुत्री मानते हुए नामांतरण के जो आदेश दिए हैं, वह विधि सम्मत हैं। अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

यह भी तर्क दिया गया कि तहसीलदार द्वारा नामांतरण पंजी पर जो आदेश पारित किया गया है, वह अवैधानिक है। प्रकरण में न तो इश्तिहार की प्रति संलग्न है और ना ही वसीयतनामा की प्रति संलग्न है। यह भी कहा गया कि वसीयत के आधार पर आदेश पंजी पर पारित नहीं किया जा सकता। यह भी कहा गया है कि शपथ–पत्र के आधार पर हक का त्याग नहीं किया जा सकता है, इसके लिए पंजीयन आवश्यक है। अंत में उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5. यह भी कहा गया कि जानकारी होने पर 10 वर्ष बाद आवेदन दिया गया, जिसे स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है। तिजुआ के पुत्र पप्पू की दो बहनें भी हैं, जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश समवर्ती हैं, जिन्हें स्थिर रखा जाना चाहिए।

6. उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अनावेदिका भगवती बाई द्वारा तहसीलदार बासौदा द्वारा नामांतरण पंजी पर पारित आदेश दिनांक 30.12.2003 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील 28.07.2012 को (अर्थात 9 वर्ष से अधिक समय) विलंब से पेश की गई है। उक्त अपील में भगवती बाई द्वारा स्वयं को मृतक तिजुआ की पुत्री बताते हुए उसे पक्षकार न बनाये जाने के कारण तहसील न्यायालय के आदेश को त्रुटि पूर्ण बताया गया है। अपील के साथ अवधि विधान की धारा 5 का जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसमें विलंब का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है जबकि विलंब के संबंध में दिन–प्रतिदिन का स्पष्टीकरण आवश्यक है। अवधि विधान के आवेदन में उनके द्वारा जानकारी का श्रोत नामांतरण पंजी की नकल लेने से दिनांक 27.07.2012

को होना बताया। 9 वर्ष तक उनके द्वारा जानकारी लेने का प्रयास क्यों नहीं किया गया, इस संबंध में कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण अनावेदिका भागवतीबाई की ओर से विलंब के आवेदन में नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में जानकारी के श्रोत का तथ्य विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि वाह्य होने से उसे स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है। अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख को देखने से यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा विलंब क्षमा करने के आदेश पारित करने के पूर्व केवल अनावेदक नारायण सिंह का पक्ष सुना गया है। आवेदक पप्पू पुत्र तिजुआ को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है जबकि उसका पक्ष सुना जाना आवश्यक था। इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1981 आर0एन0 518, 1985 आर0एन0 337, एवं 1984 आर0एन0 424 अवलोकनीय हैं। इन न्याय दृष्टांतों में यह अवधारित किया गया है कि परिसीमा अधिनियम 1963 – धारा–5, – विलंब क्षमा – दूसरे पक्ष को सुने बिना विलंब माफी का आदेश शून्य है। ऐसी स्थिति में जहां तक विलंब का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अपर आयुक्त द्वारा भी उक्त तथ्य को अनदेखा किया गया है। परंतु यदि इस प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों को देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में तहसील न्यायालय द्वारा भी नामांतरण की जो कार्यवाही की गई है, वह विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा प्रविष्टि वसीयत व शपथ–पत्रों के आधार पर प्रमाणित की गई है, जबकि नामांतरण पंजी में न तो इश्तिहार की प्रति संलग्न है, न वसीयत की प्रति संलग्न है और ना ही शपथ–पत्र की प्रति संलग्न है। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय का आदेश अवैधानिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अर्थात् प्रकरण की समस्त परिस्थितियों पर विचार के पश्चात् यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है एवं यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण पुनः विधिवत् कार्यवाही हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाए।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए जाते हैं, एवं प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे मृतक लम्पुआ एवं उसके मृतक पुत्र तिजुआ के सभी वारिसानों को

अभिलेख पर लेकर उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए और यदि उनके समक्ष कोई वसीयत प्रस्तुत की जाती है तो उस पर भी उभयपक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के उपरांत विधिवत नामांतरण की कार्यवाही करें।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर